राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के विभिन्न पदों (नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टैक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, डेन्टल टैक्नीशियन, ईसीजी टैक्नीशियन एवं नेत्र सहायक) की सीधी भर्ती (वर्ष–2023) राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर (शिफू) के माध्यम से करवाई जा रही है। इन भर्तियों के संबंध में चिन्हित बिन्दुओं पर निर्णय लिये जाने बाबत् नीति–निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित उनके कक्ष में सायं 04:00 बजे आयोजित की गई। जिसमें श्रीमान महाधिवक्ता महोदय की राय के आधार पर कार्य की समानता के निर्धारण हेतु नीति–निर्धारण समिति की पूर्व बैठक दिनांक 03.07.2024 के बिन्दु संख्या 1 व 2 हेतु गठित वृहद समिति की बैठक दिनांक 08.07.2024 में लिये गये निर्णय के संबंध में विचार किया गया।

बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण आमंत्रित किये गये–

1.	प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल., मुख्यालय	सदस्य
2.	विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.एल.	सदस्य
3.	संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग	सदस्य
4.	कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव स्तर)	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
5.	विधि विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव स्तर)	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
6.	निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	सदस्य सचिव
7.	परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान	सदस्य
8.	रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर	सदस्य
9.	निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर	सदस्य
10.	संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित/प्रशिक्षण), मुख्यालय	सदस्य
11.	उप विधि परामर्शी (शासन सचिवालय/मुख्यालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
12.	रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर	सदस्य
13.	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य

क्र. स.	नीतिगत निर्णय संख्या	विचारणीय बिन्दु	विभागीय टिप्पणी	दिनांक 08.07.2024 को आयोजित वृहद समिति का निर्णय	नीति–निर्धारण समिति का निर्णय
1	131	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 में कोविड स्वास्थ्य सहायकों (सीएचए)	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 के अनुसार समान पद	बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारीगण द्वारा चर्चा की गई एवं विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया गया कि किस प्रकार एएनएम	पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री स्तर से अनुमोदन उपरान्त कोविड स्वास्थ्य सहायकों को प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन नर्सिंग संवर्ग के पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति पद के समरूप कार्य करने की सेवा अवधि

		को अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिए जाने के संबंध में।	एवं समान कार्य के आधार पर संविदा कर्मियों को अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय है। एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2023 को निर्णय पारित करते हुये निर्देश प्रदान किये हैं कि सरकार समान कार्य की नीति का सख्ती से पालन करेगी। इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय से शिथिलन प्राप्त कर कोविड स्वास्थ्य सहायकों को अनुभव के आधार पर नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 में बोनस अंकों का लाभ दिया गया है। अतः कोविड स्वास्थ्य सहायकों को अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय है अथवा नहीं? के संबंध में निर्णय लिया जाना है।	एवं जीएनएम योग्यताधारी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कार्य नर्सिंग कार्य के समरूप था अथवा नहीं? समिति सदस्यों द्वारा अभिमत जाहिर किया गया कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों की योग्यता जीएनएम एवं एएनएम थी किन्तु इनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का निर्धारण योग्यता के आधार पर/जॉब चार्ट अनुसार नहीं किया गया था। कोविड–19 की विकट महामारी के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित चिकित्सालयों द्वारा तात्कालिक आवश्यकता व परिस्थिति अनुसार कोविड स्वास्थ्य सहायकों से टीकाकरण, सैम्पल एकत्रीकरण, दवा वितरण, वार्ड/एम्बुलेंस/कोविड केयर सेन्टर/ डेडिकेटेड सेंटर में कार्य करवाया गया। नर्सिंग कार्य संपादित कराये जाने एवं तत्समय इनसे कोविड सर्वे एवं दवाई वितरण के अतिरिक्त शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करने के कारण चिकित्सालयों तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों पर भी नर्सिंग से संबधित कार्य आवश्यकतानुसार करवाया गया था, ताकि कोविड–19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों पर काबू पाया जा सके। समिति सदस्यों ने स्पष्ट किया कि यद्यपि सीएचए के जॉब चार्ट में उनके कार्य का उल्लेख किया गया था तथापि तत्समय की परिस्थितियों एवं सीएचए की व्यावसायिक योग्यता के दृष्टिगत इनसे कोविड 19 के दौरान नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्यों को सम्पादित करवाया गया। अतः समिति की राय में कोविड की तात्कालिक परिस्थितियों में सीएचए द्वारा कोविड अवधि में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य सम्पादित किया गया।	आधारित बोनस अंक दिये जाने सम्बन्धी राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के नियम 19 के प्रावधानों में एक बारीय शिथिलन प्रदान किया गया, जिसके क्रम में नर्सिंग ऑफिसर व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों की अंतरिम चयन सूची में कोविड स्वास्थ्य सहायक के पद पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता व नर्सिंग ऑफिसर संविदा कार्मिकों को बोनस अंक प्रदान करते हुये सम्मिलित किया गया। बृहद समिति की राय में कोविड–19 की विकट महामारी के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित चिकित्सालयों द्वारा तात्कालिक आवश्यकता व परिस्थिति अनुसार कोविड स्वास्थ्य सहायकों से अन्य नर्सिंग कर्मियों के समान टीकाकरण, सैम्पल एकत्रीकरण, दवा वितरण, वार्ड/एम्बुलेंस/कोविड केयर सेन्टर/ डेडिकेटेड सेंटर में कार्य करवाया गया जो नर्सिंग कार्य के समान है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 के क्रम में श्रीमान महाधिवक्ता महोदय की राय के अनुसार बृहद समिति द्वारा कार्य की समानता के निर्धारण की प्रक्रिया अपनाये जाने के उपरान्त उक्त प्रकार से प्रदान किये गये शिथिलन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः नीति–निर्धारण समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 08.07.2024 को बृहद समिति द्वारा कोविड परिस्थितियों में सी.एच.ए. के कार्य को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/नर्सिंग ऑफिसर के समान माने जाने व तद्नुरूप बोनस अंकों का लाभ दिये जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को सक्षम स्तर से अनुमोदनार्थ भिजवाया जाये।

2	132	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) को अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिए जाने के संबंध में।	नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) को उनके जॉब चार्ट को देखते हुए इस आधार पर कि इनका जॉब चार्ट नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं है, बोनस का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। जिस पर कतिपय सीएचओ द्वारा माननीय न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गईं जिन्हें माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को नियम 19 की सख्ती से पालना करने के निर्देशों के साथ निस्तारित किया है। नियम 19 का संबंध समरूप कार्य से है। अतः यह निर्धारित किया जाना है कि सीएचओ का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समरूप है अथवा नहीं?	बैठक में की गई चर्चा अनुसार जिस प्रकार सी.एच.ए. द्वारा कोविड परिस्थितियों में नर्सिंग सेवाएं दी गई उसी प्रकार समान सेवाएं सी.एच.ओ. द्वारा भी दी गईं। सीएचओ द्वारा कोविड अवधि के दौरान सीएचओ प्रशिक्षण होने तक नर्सिंग ऑफिसर के समान आउटडोर व इन्डोर में कार्य सम्पादित किया। मेडिकल किट वितरण सर्वे, वार्ड डयूटी इन्डोर आउटडोर डयूटी, कोविड डेडिकेटेड कोविड सेन्टर, मैनेजमेंट आदि सभी कार्य सम्पादित किए गए हैं। अतः समिति की राय में कोविड की तात्कालिक परिस्थितियों में सीएचओ द्वारा कोविड अवधि में नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य सम्पादित किया गया।	समिति सदस्यों द्वारा पूर्व में सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ नहीं दिये जाने के निर्णय पर विस्तृत चर्चा की गई। सी.एच.ओ. को बोनस अंकों का लाभ दिये जाने/नहीं दिये जाने संबंधी पत्रावली पर निम्नानुसार टिप्पणियां अंकित हैं– para 17/N; In reference of para 1/N, regarding whether to grant bonus marks to Community Health Officers (CHOs) posted on Health & Wellness Centers (HWC-SHCs) on the basis of similar nature of work vis-a-vis Nursing Officers (NOs). After comparison, prima fascie conclusion reached upon is nursing officer's work responsibilities are far wider. Para 18/N; "Hence, the TOR of CHO is far wider as it is not merely restricted to curative care at facility level but playing pivotal role in promotive health care by conducting community outreach activities" एवं निम्नानुसार टिप्पणी अंकित करते हुए पैरा 18/N को conclude किया है– "Keeping the above facts in mind, it is proposed to give bonus marks to CHOs also like as Nursing Officers". पैरा 24/एन पर मिशन निदेशक, एनएचएम द्वारा निम्नानुसार टिप्पणी की गईः– "Looking to the wide responsibility in the field of health the provision of bonus marks in future recruitment of Nursing officers may be done". पैरा 17–18 व 24/एन पर की गई टिप्पणियां रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार व अन्य में नियम–19 की पालना करने संबंधी माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुरूप समान कार्य के सिद्धान्त की पुष्टि नहीं कर रही हैं। इस संबंध में रिट याचिका संख्या 19677/2022 लाला राम बनाम सरकार व अन्य एवं अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दिनांक 05.01.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसका मुख्यांश निम्नानुसार हैः– *"Needless to observe that above directions have been issued only for the purpose of issuing the certificates. Mere grant of*

					experience certificate will not confer any right upon the candidates to claim bonus marks. It will be open for the respondents to verify the veracity and entitlement of individual candidates on the basis of the experience gained, nature of work performed and applicable law" का उल्लेख करते हुये पत्रावली पुनः मिशन निदेशक, एनएचएम को प्रेषित की गई जिस पर उन्होनें पैरा 59/एन पर निम्नानुसार टिप्पणी कीः– "The file is submitted for the perusal of para 29/N to 55/N, specifically para 54/N and approval as requested in para 54/N and 55/N pls" पैरा 54/एन पर ***"सीएचओ का कार्य नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समरूप नहीं है अतः वर्तमान भर्ती में सीएचओ पद पर कार्य का अनुभव का लाभ उचित प्रतीत नहीं होता है"***, उल्लेखित है एवं पैरा 55/एन पर पत्रावली पुर्नविचारार्थः प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात विभाग द्वारा वस्तुस्थिति माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के संज्ञान में लाया जाकर वर्तमान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में सीएचओ को समान कार्य के आधार पर अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा भर्ती सम्बन्धी विभिन्न अन्य प्रकरणों में पारित निर्णयों के आलोक में सीएचओ पदनाम व जॉब चार्ट की नर्सिंग ऑफिसर के पदनाम व जॉब चार्ट से तुलना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि समान कार्य की स्थापना हेतु संस्थान जहॉ कार्य सम्पादित किया गया वह महत्वपूर्ण है। माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार व अन्य में नियम–19 की पालना के निर्देश दिये है जो कि समान कार्य को ही बोनस अंक देने अथवा नहीं देने हेतु मुख्य आधार के रूप में स्थापित करती है। इस संबंध में समिति के समक्ष एनएचएम की विज्ञप्ति क्रमांक 1719 दिनांक 31.08.2020 के क्रम में विज्ञप्ति क्रमांक 1004–05 दिनांक 08.05.2021 के द्वारा जारी चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश क्रमांक 803 दिनांक 10.05.2021 के बिन्दु संख्या 2 को समिति सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार कोविड परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अग्रिम आदेशों तक कोरोना वायरस कोविड–19 के नियंत्रण कार्यो हेतु संलग्न सूची के अनुसार अस्थायी रूप से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को चयन सूची

				में सम्मिलित अभ्यर्थियों की सेवायें इस अवधि में जीएनएम पद हेतु पीआईपी में स्वीकृत समेकित मानदेय 7900 रूपये प्रतिमाह पर सौंपी गईं। उपरोक्त नियुक्ति आदेश के बिन्दु संख्या 3, 6 व 7 से स्पष्ट है कि सीएचओ पद हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 31.08.2020 के क्रम में चयनित केवल ऐसे सीएचओ अभ्यर्थियों, जिन्होनें पूर्व से ही IGNOU/UNIVERSITY के माध्यम से Bridge Programme Certificate (Course) In Community Health For Nurses उत्तीर्ण नहीं कर रखा था, को ही संबंधित संयुक्त निदेशक के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन कोविड परिस्थितियों के नियंत्रण कार्यों हेतु नियुक्त किया गया। बृहद समिति द्वारा दिनांक 8.7.2024 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सीएचओ द्वारा कोविड अवधि के दौरान सीएचओ प्रशिक्षण होने तक नर्सिंग ऑफिसर के समान आउटडोर व इन्डोर में कार्य सम्पादित किया जो कि एक चिकित्सा संस्थान में ही संपादित किया जा सकता है। इसी प्रकार इनके द्वारा मेडिकल किट वितरण सर्वे, वार्ड डयूटी, इन्डोर–आउटडोर डयूटी, कोविड डेडिकेटेड सेन्टर मैनेजमेंट आदि सभी कार्य सम्पादित किए गए हैं। अतः इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन उपरान्त समिति सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसे सी.एच.ओ. कार्मिक जिनकी नियुक्ति कोविड अवधि के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड नियंत्रण हेतु सौंपी गई व बाद में सी.एच.ओ. के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग ऑफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। उक्त का सक्षम स्तर से अनुमोदन भी कराया जाना उचित रहेगा।

3	33	आशा सुपरवाईजर, ब्लॉक आशा फैसिलेटर, डीडीसी हैल्पर, दक्षता मेंटर, डायलिसिस नर्स कम टेक्नीशियन, हैल्थ एडवाइजरी ऑफिसर, आईसीटीसी काउन्सलर, नर्सिंग ट्यूटर, आशा सहयोगिनी, एसटीएस आदि अन्य पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों को अनुभव आधारित बोनस अंक दिये जाने के संबंध में।	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 के अनुसार समान पद एवं समान कार्य के आधार पर संविदा कर्मियों को अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय है। एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2023 को निर्णय पारित करते हुये निर्देश प्रदान किये हैं कि सरकार समान कार्य की नीति का सख्ती से पालन करेगी। अतः विभिन्न अन्य पदों पर कार्यरत संविदाकर्मियों को बोनस अंकों का लाभ देय है अथवा नहीं?	विभाग में विभिन्न संविदा पदों पर कार्यरत कर्मियों को अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ नियम 19 के अनुसार समान पद एवं समान कार्य के आधार पर देय है। समिति के सदस्यों द्वारा राय व्यक्त की गई कि सीएचओ एवं सीएचए के अतिरिक्त अन्य इस प्रकार के पदों पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा कोविड परिस्थितियों में भी नर्सिंग ऑफिसर अथवा एएनएम द्वारा तत्समय सम्पादित किये गये कार्यो के समान कार्य नहीं किया गया।	समिति सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि सी.एच.ए. व सी.एच.ओ. के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों के प्रकरण व्यक्तिगत प्रकृति अथवा समान पद के नहीं होने से इनका निस्तारण विभाग द्वारा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय व इस प्रकरण से कवर्ड अन्य निर्णयों के फलस्वरूप प्राप्त अभ्यावेदनों के निस्तारण के माध्यम से एवं माननीय न्यायालय में दायर विचाराधीन रिट यचिकाओं तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्य निर्णयों के सापेक्ष गुणावगुण के आधार पर विचार कर नियमानुसार किया जाये।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग
राजस्थान सरकार

विशिष्ट आमंत्रित
(संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग)

विशिष्ट आमंत्रित
(संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2/नियम))

प्रबन्ध निदेशक,
आर.एम.एस.सी.एल.

विशेषाधिकारी,
आर.एम.एस.सी.एल., मुख्यालय

संयुक्त शासन सचिव
चि.एवं स्वा. (ग्रुप–3) विभाग

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

परियोजना निदेशक
एन.एच.एम. मुख्यालय

रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल	निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान	संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित) मुख्यालय	उप विधि परामर्शी, चि.एवं स्वा. विभाग, शासन सचिवालय
उप विधि परामर्शी, मुख्यालय	रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) मुख्यालय	विशिष्ट आमंत्रित (संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर)